

अध्याय—XIV

ब्लॉक प्रचालन

(क) — साधारण उपबन्ध

14.01. लाइन क्लीयर देने या लेने के साधन:— एक ब्लॉक स्टेशन से दूसरे ब्लॉक स्टेशन तक जाने वाली प्रत्येक गाड़ी का परिचालन निम्नलिखित किसी एक या एक से अधिक साधनों द्वारा विनियमित किया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) टोकन या टोकन रहित किस्म के विद्युत ब्लॉक यंत्र,
- (ख) ट्रैक सर्किट
- (ग) धुरी काउण्टर, या
- (घ) विद्युत संचार यंत्र

14.02. यंत्रों की व्यवस्था:—

- (1) 'डी' क्लास स्टेशनों के सिवाय, जहाँ उनकी व्यवस्था विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत की जा सकती है, सभी स्टेशनों पर विद्युत संचार यंत्रों की व्यवस्था की जाएगी।
- (2) (क) किसी भी स्टेशन पर विद्युत, ब्लॉक यंत्र, जहाँ भी वे लगे हैं, और विद्युत संचार यंत्र ऐसी किस्म के होंगे जो रेल संरक्षा आयुक्त अनुमोदित करे और उनका प्रथम बार प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उन्हें पास नहीं कर देता।
- (ख) विद्युत ब्लॉक यंत्रों या विद्युत संचार यंत्रों के देख-भाल का प्रभारी (इंचार्ज) व्यक्ति, रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति के बिना, प्रथम बार में प्रयुक्त यंत्रों और सम्बन्धित उपस्करों के बदले में किन्हीं यंत्रों और उपस्करों को लगाने की अनुमति नहीं देगा जो खण्ड (क) में वर्णित शर्तों की पूर्ति नहीं करते हैं।

स0नि0 14.02 : (i) प्रत्येक सेक्शन के टोकनों पर दोनों ओर के स्टेशनों का कूट नाम और क्रम संख्या अंकित होनी चाहिए।

- (ii) यदि कोई टोकन खो जाये तो उसके बदले जो टोकन दिया जायेगा उस पर उसी क्रम की एक नयी संख्या अंकित रहे अथवा पहचान के लिए एक विशेष अवसर के साथ वही संख्या अंकित रहे।
- (iii) यदि अग्रिम प्रस्थान या अन्तिम रोक (स्टाप) सिगनल दिया गया है, तो उसका नियंत्रण उस सेक्शन के टोकन से होना चाहिए जिसको वह शासित करता है।
- (iv) टोकन यंत्रों का प्रचालन करने वाले कर्मचारियों को इनकी कार्य प्रणाली के विषय में पूर्णतः अनुदेशित होना चाहिए तथा यंत्र के समुचित रूप से कार्य न करने अथवा अनियमित रूप से करंट मिलने की स्थिति का बोध कराने वाले लक्षणों का स्पष्ट संकेत ऐसे अनुदेश में अवश्य निहित रखा जाये।
- (v) परिचालन विभागीय कर्मचारी यंत्रों के निरापद प्रचालन के लिए जिम्मेदार है। ऐसा सुरक्षित प्रचालन, घंटी-संकेतों के कोड के सही उपायों और यंत्रों के समुचित क्रम में प्रयोग करने से पर्याप्त रूप से सुनिश्चित हो सकता है।

14.03. ब्लॉक प्रचालन उपस्कर में हस्तक्षेप करने से पहले सहमति आवश्यक:— स्टेशन मास्टर की पूर्व सहमति के बिना, कोई रेल सेवक मरम्मत करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए ब्लॉक प्रचालन उपस्कर या उनके कलपुर्जों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

CHAPTER XIV BLOCK WORKING

A. General Provisions

14.01. Means of granting or obtaining Line Clear:- The running of every train shall, in its progress from one block station to another, be regulated by means of any one of or a combination of the following -

- (a) electrical block instruments of token or token less type,
- (b) track circuits,
- (c) axle counters, or
- (d) electrical communication instruments.

14.02. Provision of instruments:-

- (1) Electrical communication instruments shall be provided at every station, except at class 'D' stations where they may be provided under special instructions.
- (2)
 - (a) The electrical block instruments, where provided, and electrical communication instruments at any station shall be of a type approved by the Commissioner of Railway Safety and shall not be brought into use in the first instance unless they have been passed by him.
 - (b) The person in charge of the maintenance of electrical block instruments or electrical communication instruments shall not without the approval of the Commissioner of Railway Safety, permit the substitution, for the instruments and installation brought into use in the first instance, of any instruments or installation which do or does not satisfy the conditions prescribed in clause (a).

SR 14.02(i) The tokens for each section must be engraved with the code initials of the stations at both ends of the section and with a serial number.

- (ii) In the event of a token being lost, the token issued in replacement must bear either a new number in continuation of the series or the same number with the distinguishing letter of mark.
- (iii) The Advanced Starter or Last Stop Signal, where such signal exists, must be controlled by the token of the section it governs.
- (iv) The staff operating Token instruments must be thoroughly instructed in the working and this instruction must include a clear demonstration of the visible signs which may occur to denote that the instrument is not in proper working order or that a current is being irregularly received.
- (v) The operating staff are responsible for the safe working of instruments, such safe working being adequately protected by the correct use of the code of Bell Signals, and by the operation of the instruments being carried out in the proper sequence.

14.03 Consent required before interfering with Block working equipment:- No railway servant shall interfere with the block working equipment, or their fittings for the purpose of effective repairs, or for any other purpose, except with the previous consent of the Station Master.

ख. विद्युत ब्लॉक यंत्र, ट्रैक सर्किट अथवा

धुरी काउण्टरों से व्यवस्थित ब्लॉक स्टेशन

14.04. सक्षमता प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट आफ कम्पीटेन्सी):-

- (1) कोई भी व्यक्ति विद्युत ब्लॉक यंत्रों का प्रचालन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि उसने ब्लॉक यंत्रों के प्रचालन की परीक्षा पास नहीं कर ली है और जब तक कि उसके पास रेल प्रशासन द्वारा इस काम के लिए नियुक्त रेल सेवक का दिया गया सक्षमता प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ कम्पीटेन्सी) नहीं है।
- (2) उपनियम (1) में उल्लिखित सक्षमता प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ कम्पीटेन्सी) केवल तीन वर्ष या उससे अधिक लम्बी ऐसी किसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा जो विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित की जाए।

स0नि0 14.04 (1): प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर, ब्लॉक वर्किंग से जुड़े प्रारंभिक/प्रोन्नति/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और अन्य विशेष पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले कर्मचारियों को आवश्यक परीक्षण के पश्चात् उचित प्रशिक्षण एवं ब्लाक दक्षता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा इसमें ब्लाक यन्त्र, पैनल, आर. आर.आई. और ई. आई.(वी.डी.यू.) सम्मिलित होंगे।

इन प्रमाणपत्रों की वैधता, जारी करने की तिथि से 3 वर्षों के लिए होगी, यद्यपि असाधारण परिस्थितियों में या यदि कोई पुनश्चर्या पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, तो आवश्यक परीक्षण के पश्चात् अगले पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने तक, दक्षता प्रमाण पत्र की वैधता मण्डल अधिकारी द्वारा विस्तारित की जा सकती है जो ए.ओ.एम. से नीचे रैंक का नहीं होगा। यद्यपि, किसी भी परिस्थिति में दक्षता प्रमाण पत्र को 6 माह से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

ऐसे परीक्षण का अभिलेख परिणाम के साथ मूल ब्लॉक दक्षता प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग पर दर्ज किया जाना चाहिए।

ब्लॉक दक्षता प्रमाण पत्र ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारियों की व्यक्तिगत अभिरक्षा में होना चाहिए, जिन्हें यह जारी किया गया है और अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान मांगने पर अविलम्ब प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- (2) स्टेशन मास्टर को प्राचार्य/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा ब्लाक यंत्र प्रचालन के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जिसमें पैनल प्रचालन, पी.सी.पी. प्राथमिक उपचार आदि की क्षमता एकीकृत रूप से सम्बोधित रहेगी। यह प्रमाण पत्र "तीन वर्षों" के लिए वैध होगा।

14.05. घंटी कोड:- गाड़ियों को संकेत देने के लिए घंटी संकेतों के निम्नलिखित कोड का प्रयोग किया जाएगा और इनकी एक प्रति प्रत्येक ब्लॉक स्टेशन पर ब्लॉक उपस्कर के प्रचालन स्थान के पास प्रदर्शित की जाएगी, अर्थात्:-

निर्देश	संकेत	कोड	संकेत विधि	अभिस्वीकृति की रीति
1.	ध्यानाकर्षण (काल अटेंशन) या टेलीफोन सुनिए	0	एक घंटी या बीट	एक घंटी या बीट
2.	क्या लाइन क्लीयर है या लाइन क्लीयर पूछताछ	00	दो	दो
3.	गाड़ी का ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश	000	तीन	तीन
4.	(क) गाड़ी का ब्लॉक सेक्शन से बाहर होना (ख) अवरोध का हटाना	0000	चार	चार
5.	(क) अन्तिम घंटी सिगनल रद्द करो (ख) घंटी संकेत गलती से दिया गया है।	00000	पाँच	पाँच

**B. Block Stations at which Electrical Block Instruments,
Track Circuits or Axle Counters are provided.**

14.04 Certificate of Competency: -

- (1) No person shall operate the electrical block instrument until he has passed a test in the operation of block instruments and unless he holds a certificate of competency granted by a railway servant appointed in this behalf by the Railway Administration.
- (2) The certificate of competency referred to in sub-rule (1) shall only be valid for a period of three years or such longer period as may be laid down by special instructions.

S.R. 14.04 (1): The Principal, Zonal Railway Training Institute, Ghazipur is responsible for proper training and issue of Block Competency Certificates to staff connected with block working, attending initial/promotional/refresher course and other special course after necessary tests are conducted by him and will include Block Instrument, Panel, RRI& EI(VDU) competency.

Such certificates shall be valid for a period of 3 years from the date of issue, however, in exceptional circumstances or if there is no refresher course scheduled, the validity of competency certificate may be extended by the divisional officer, not below the rank of AOM, after conducting necessary test, upto the date of commencement of next refresher course. However, competency certificate should not be extended for more than six months in any case.

A record of such test with its result shall be made at the back of the original Block Competency Certificate.

The Block Competency Certificate shall be in the personal custody of the staff while on duty, to whom it is issued and it shall be promptly produced when demanded by inspecting Officials.

- (2) The competency certificate will be issued to Station Master for block working by Principal/ Zonal Railway Training Institute and will include panel competency, PCP and First Aid etc. in a integrated form. The certificate will be valid for a period of three years.

14.05. Bell code: For the signaling of trains, the prescribed code of bell signals as detailed below, shall be used, and a copy thereof shall be exhibited in each block station near the place of operation of the block working equipment :-

Ref. No.	Indication	Code	How Signalled	How acknowl- edged
1.	CALL ATTENTION OR ATTEND TELEPHONE	0	One stroke or beat	One stroke or beat
2.	IS LINE CLEAR, OR LINE CLEAR ENQUIRY	00	Two	Two
3.	TRAIN ENTERING BLOCK SECTION	000	Three	Three
4.	(A) TRAIN OUT OF BLOCK SECTION (B) OBSTRUCTION REMOVED	0000	Four	Four
5	(a) CANCEL LAST SIGNAL (b) SIGNAL GIVEN IN ERROR	00000	Five	Five

6.	(क) अवरोध खतरा घंटी संकेत (साधारण) (ख) रोको और गाड़ी की जाँच करो (ग) गाड़ी- पिछली बत्ती (टेल) लैम्प या पिछला (टेल) बोर्ड के बिना गई है। (घ) गाड़ी विभाजित हो गयी है। (ङ) वाहन दोहरी (डबल) लाइन पर गलत दिशा में या इकहरी (सिंगल) लाइन के ब्लॉक सेक्शन में निकल भागे हैं। (च) वाहन दोहरी (डबल) लाइन पर सही दिशा में निकल भाग हैं।	000000 000000-0 000000-00 000000-000 00000-0000 000000-00000	छः छः-विराम-एक छः-विराम-दो छः-विराम-तीन छः-विराम-चार वराम-पाँच छः-विराम-पाँच	छः छः-विराम-एक छः-विराम-दो छः-विराम-तीन छः-विराम-चार छः-विराम-पाँच
7.	परीक्षा (टेस्टिंग)	0000000000000000	सोलह	सोलह

नोट:- (1) '0' एक स्ट्रोक या एक बीट का सूचक है और '-' विराम का सूचक है।

(2) प्रत्येक सिगनल धीरे-धीरे और साफ-साफ दिया जायेगा।

(3) उपर्युक्त क्रमांक 3 व 4 के संदर्भ में बेल कोड का आदान-प्रदान उस खण्ड में आवश्यक नहीं है, जहाँ ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउन्टर अथवा ट्रैक सर्किट हो, जिसमें स्टेशन यार्ड, नॉन रनिंग लाइन के अलावा, दोनों ओर पूर्णरूप से ट्रैक सर्किट किया हुआ हो।

स0नि0 14.05 (1): यह भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि ब्लाक यंत्र के साथ लगे हुए टेलीफोन से प्राधिकृत घंटी संकेतों के कोड का इस्तेमाल की आवश्यकता समाप्त नहीं होती है।

(2) जहाँ ब्लाक यंत्र केबिन में दिये गये हैं वहाँ उनको प्रचालित करने वाला व्यक्ति जब कभी निम्नलिखित बातों के लिए घंटी संकेतों के कोड दिये जायें या मिलें, तुरन्त ही स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को सूचना भेजेगा-

(क) रोको और गाड़ी की जाँच करो,

(ख) गाड़ी पिछली बत्ती या पिछला बोर्ड के बिना गई है,

(ग) गाड़ी विभाजित हो गयी है,

(घ) वाहन गलत लाईन पर निकल भागे हैं,

(ङ) वाहन सही लाईन पर भाग निकले हैं।

14.06. घंटी संकेतों की अभिस्वीकृति:-

(1) मिलने वाले प्रत्येक घंटी संकेत की अभिस्वीकृति, उसकी प्राधिकृत अभिस्वीकृति भेजकर दी जाएगी।

(2) किसी घंटी संकेत की अभिस्वीकृति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ जाता।

(3) कोई घंटी संकेत तब तक पूरा हुआ नहीं माना जाएगा जब तक कि इसकी अभिस्वीकृति नहीं दे दी जाती।

(4) जिस स्टेशन को घंटी संकेत भेजा जाता है वह यदि उत्तर नहीं देता है तो कम से कम 20 सेकेण्ड के अन्तर से वह घंटी संकेत तब तक दोहराया जाता रहेगा, जब तक कि उत्तर नहीं मिल जाता।

14.07 गाड़ी सिगनल रजिस्टर:-

(1) गाड़ी सिगनल रजिस्टर स्टेशन मास्टर द्वारा अथवा उसके आदेशों के अधीन रखा जाएगा।

(2) ब्लॉक यंत्र का परिचालन करने वाला व्यक्ति विद्युत ब्लॉक यंत्रों पर मिलने वाले या भेजे जाने वाले सभी संकेतों के मिलने तथा भेजे जाने के समय को अभिस्वीकृति के तुरन्त बाद, उक्त रजिस्टर में दर्ज करेगा।

6	(a) OBSTRUCTION DANGER SIGNAL (GENERAL)	000000	Six	Six
	(b) STOP AND EXAMINE TRAIN	000000-0	Six pause one	Six pause one
	(c) TRAIN PASSED WITHOUT TAIL LAMP OR TAIL BOARD	000000-00	Six pause two	Six pause two
	(d) TRAIN DIVIDED	000000-000	Six pause three	Six pause three
	(e) VEHICLES RUNNING AWAY IN WRONG DIRECTION ON DOUBLE LINE OR INTO THE BLOCK SECTION ON SINGLE LINE	000000-0000	Six pause four	Six pause four
	(f) VEHICLES RUNNING AWAY IN RIGHT DIRECTION ON DOUBLE LINE	000000-00000	Six pause five	Six pause five
7	TESTING	0000000000000000	Sixteen	Sixteen

- Note: (1) “O” INDICATES A STROKE OR A BEAT AND “-“ INDICATE A PAUSE
- (2) EACH SIGNAL SHALL BE GIVEN SLOWLY AND DISTINCTLY.
- (3) EXCHANGE OF BELL CODES UNDER REFERENCE NUMBER 3 AND 4 ARE NOT REQUIRED IN A SECTION PROVIDED WITH BLOCK PROVING AXLE COUNTER OR TRACK CIRCUIT HAVING COMPLETE TRACK CIRCUITING OF STATION YARD EXCLUDING NON RUNNING LINES ON EITHER END.

S.R. 14.05(1): It must be clearly understood that telephone attached to block instrument does not do away with the necessity for the use of the authorized code of Bell Signals.

- (2) In cases where block instruments are placed in cabins, the operator must whenever the code signals for the following are given or received immediately advise the Station Master at the station:-
- Stop and Examine train.
 - Train passed without tail-lamp or tail board,
 - Train divided,
 - Vehicles running away on wrong line,
 - Vehicle running away on right line.

14.06. Acknowledgment of signals:-

- (1) Each signal received shall be acknowledged by sending its authorised acknowledgment.
- (2) No signal shall be acknowledged until it is clearly understood.
- (3) A signal shall not be deemed to be complete until it is acknowledged.
- (4) If the station to which a signal is sent does not reply, the signal shall be repeated at intervals of not less than 20 seconds until reply is received.

14.07. Train Signal Register:-

- (1) A Train Signal Register shall be kept by the Station Master or under his orders.
- (2) All signals received or sent on the electrical block instruments and the timings of receipt and dispatch shall be entered therein, immediately after acknowledgment, by the person operating the block instrument.

- (3) इस रजिस्टर में दर्ज किया गया समय वास्तविक समय होगा, किंतु एक मिनट के किसी अंश को पूरा मिनट माना जाएगा।
 - (4) इस रजिस्टर में सभी लेखियाँ स्याही से की जाएगी।
 - (5) इस रजिस्टर में दर्ज कोई भी अंश मिटाया नहीं जाएगा, किन्तु यदि कोई लेखी गलत पाई जाती है तो उसके ऊपर लाइन इस प्रकार खींच दी जाएगी जिससे उसे किसी भी समय पढ़ा जा सके और सही लेखी उसके ऊपर दर्ज कर दी जाएगी।
 - (6) जो व्यक्ति उस समय इस रजिस्टर को रखता है वह उसमें दर्ज की गई सभी लेखियों और रजिस्टर के प्रत्येक खाने के सही-सही भरे जाने के लिए जिम्मेदार होगा।
- स0नि014.07(1): (क) प्रत्येक गाड़ी से मिलने वाले और उसे दिए जाने वाले टोकन की गाड़ी सिगनल रजिस्टर (सं0टी-65 और टी-66) में दर्ज की जानी चाहिए।

(ख) लाइन क्लीयर रद्द किये जाने के कारण या यंत्र की जाँच अथवा टोकन के स्थानान्तरण के कारण यंत्र से निकाले गये या उसमें वापस डाले गये प्रत्येक टोकन की संख्या गाड़ी सिगनल रजिस्टर (फार्म सं0टी-65 और टी-66) में दर्ज की जानी चाहिए।

- (2) (क) जब स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, कैबिन सहायक स्टेशन मास्टर स्विचमैन, जैसी स्थिति हो, अपनी ड्यूटी बदलें तो गाड़ी सिगनल रजिस्टर में अन्तिम गाड़ी की लेखी के नीचे एक लाइन खींच दी जायेगी। ड्यूटी से जाने वाला व्यक्ति दोनों ओर के ब्लाक-सेक्शन की स्थिति लिखेगा तथा समय लिख देगा और लाइन के ऊपर अपना हस्ताक्षर करेगा। ड्यूटी पर आने वाला व्यक्ति उसी प्रकार लाइन के नीचे वैसी ही क्रिया करेगा। लाइन के ऊपर और नीचे लेखियाँ इस प्रकार होनी चाहिए—

(i) ब्लाक सेक्शन.....साफ है।

(ii) ब्लाक सेक्शन/सेक्शनों.....में गाड़ी संख्या.....(विवरण) लाइन क्लीयर पर है।

- (ख) यदि उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित लेखियों से यह पता चलता है कि किसी गाड़ी में लिए 'लाइन क्लीयर' दे दिया/प्राप्त कर लिया गया है तो वह स्टेशन मास्टर या सहायक स्टेशन मास्टर या कैबिन सहायक स्टेशन मास्टर या स्विचमैन, जो भी हो, जिसने उपर्युक्त लेखियाँ दर्ज की हैं तब तक ड्यूटी पर रहेगा जब तक कि उस गाड़ी से सम्बन्धित सभी प्रविष्टियाँ पूरी न कर ली जाये। तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति ने किसी गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर दिया है वह व्यक्ति उस गाड़ी के आने तक और गाड़ी ब्लाक सेक्शनों से बाहर हो गई संकेत देने और उसकी अभिस्वीकृति मिल जाने तक ड्यूटी पर रहेगा। जिस व्यक्ति ने गाड़ी के ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करने की अनुमति ले ली है वह तब तक ड्यूटी पर रहेगा जब तक किसी गाड़ी "ब्लाक सेक्शन से बाहर हो गई" संकेत न मिल जाए और उसकी अभिस्वीकृति न दे दी जाये। ड्यूटी ग्रहण करने वाला व्यक्ति अन्य सभी गाड़ियों के लिए केवल उस गाड़ी को छोड़कर जिसके लिए ड्यूटी छोड़ने वाले व्यक्ति ने कार्यवाही शुरू की है, जिम्मेदार होगा। ड्यूटी छोड़ने वाला व्यक्ति उस गाड़ी से सम्बन्धित समूची कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगा।

- (ग) शंटिंग जमादार/लाइन जमादार/प्लान्टमैन/गेटमैन जो व्यक्तिगत रूप से गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के सम्बन्ध में सूचित किये गये हो तथा जिनकी ड्यूटी स्टेशन में/से गाड़ी के सुरक्षित पास होने से सम्बन्धित है तब तक वह ड्यूटी से नहीं जायेंगे जब तक कि वे समुचित रूप से ड्यूटी से मुक्त न हो जाये। वे ड्यूटी पर तब तक रहेंगे जब तक कि आने/जाने वाली गाड़ी जिसके लिए उन्हें सूचना मिली है स्टेशन पर पूरी आ नहीं पहुँची है या सुरक्षित तौर पर स्टेशन से पास नहीं हो गयी है।

- (3) ऐसे स्टेशनों पर जहाँ गाड़ी सिगनल रजिस्टर किसी अन्य कर्मचारी द्वारा लिखा जाता है वहाँ पर स्टेशन मास्टर स्वयं प्रतिदिन इस रजिस्टर की जाँच करेगा तथा उसमें हस्ताक्षर करके उसके ठीक होने को प्रमाणित करेगा और उसमें पायी गयी अनियमितताओं की रिपोर्ट मण्डल परिचालन प्रबन्धक को भेजेगा। जहाँ ब्लाक यंत्र रखे गये हैं उस कार्यालय या कैबिन से गाड़ी सिगनल रजिस्टर मण्डल रेल प्रबन्धक/प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबन्धक के प्राधिकार के बिना किसी भी प्रयोजन से कभी बाहर नहीं हटाया जायेगा।

- (4) गाड़ी सिगनल रजिस्टर के समाप्ति के पश्चात् उसे एक वर्ष तक स्टेशन मास्टर द्वारा परिरक्षित

- (3) The timings entered in the register shall be the actual timings, except that any fraction of a minute shall be counted as one.
- (4) All entries in the register shall be made in ink.
- (5) No erasure shall be made in the register, but if any entry is found to be incorrect, a line shall be drawn through it, so that it may be read at any time and the correct entry shall be made above it.
- (6) The person who keeps the register for the time being shall be responsible for all entries made therein and for correctly filling in each column thereof.

S.R. 14.07(1): (a) The number of the token given to an received from each train must be entered in the train Signal Register (From Nos. T-65 and T-66)

- (b) The number of any token obtained from or returned to the instrument owing to cancellation, testing or transference must be entered in the Train Signal Register (Form T-65 and T-66).
 - (2) (a) When the Station Master, Assistant Station Master Cabin Assistant Station Master or Switchman as the case may be, change duty, a line must be drawn across the Train Signal Register Book underneath the entry of the last train. The person going off duty must note the state of the block section on either side, record the time and sign his name above the line and similarly the reliever must do likewise below the line. The entries above and below the line should be as -
 - (i) Block section/s is/are clear.
 - (ii) Train (No. and description) is one Line Clear in Block Section/s.....
 - (b) If the entries as indicated in para(a) above show that 'Line Clear' has been granted/obtained, the Station Master or the Asst. Station Master or Cabin Assistant Station Master or Switchman, as the case may be, who has made entries for the train shall continue to remain on duty till all entries relating to that train are completed. By this it is meant that the staff, who gives permission for a train to enter the block section shall remain on duty till the train has arrived and the "Train Out of Block Section" signal has been given and acknowledged. The man, who receives permission for a train to enter block section shall remain on duty till the "Train out of Block Section. Signal is received and acknowledged. The reliever will however continue to function in his own capacity in respect of which action has been initiate by the relieved staff who shall remain on duty till the work in connection with the train has been completed so far as his capacity is concerned.
 - (c) Shunting Jamadar/Line Jamadar/Pointsman/ Gateman who have been personally intimated of the arrival/departure of a train and whose duties are directly concerned with the safe passage of train into or out of station shall not go "off" duty unless properly relieved. They shall remain on duty till the incoming train or the outgoing train for which they have received the information, has arrived complete at the station or passed out of the station safely.
- (3) Station Master at stations where another person maintains the Train Signal Register must personally examine the book daily and certify to its correctness by signing it, all irregularities noticed therein being reported to the Divisional Operating Manager. The train Signal Register must not be taken out of office or cabin in which the Block instruments is/are placed for any purpose whatsoever without the authority of Divisional Railway Manager/Principal Chief Operations Manager.
 - (4) The train Signal Register must be preserved by the Station Master for one year after

किया जाना चाहिए।

- (5) गाड़ी सिगनल रजिस्टर में सभी परिवर्तन स्याही से अनुरक्षित किये जाने चाहिए।
- टिप्पणी:—(i) अपवादात्मक परिस्थितियों में, जिनमें दुर्घटनाओं, इंजन विफलताओं, साइडिंग तथा मध्य-सेक्शन में गाड़ी के कार्य करने इत्यादि में कारण आने वाली/जाने वाली गाड़ियों के असाधारण विलम्ब की आशंका हो और जब वह यह व्यवहार्य न हो कि वही स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/केबिन सहायक स्टेशन मास्टर/स्विचमैन किसी गाड़ी से सम्बन्धित सभी कार्यों की समाप्ति पर ड्यूटी में रहे, तो उनका कार्य—भार ग्रहण करने वाला स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/कैबिन सहायक स्टेशन मास्टर/स्विचमैन उन्हें भार/मुक्त कर सकता है भले ही ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी द्वारा जिस गाड़ी का संचालन आरम्भ कर दिया है उस गाड़ी से सम्बन्धित कार्य पूरा न हुआ हो। परन्तु जो कर्मचारी भार-मुक्त हुआ है उसे चाहिए कि गाड़ी सिगनल रजिस्टर में लेखियों को पूरा करें और सहायक नियम 14.07(ii) (क) के अनुसार उस पर हस्ताक्षर करे। यह लेखी कार्य—भार ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/केबिनमैन सहायक स्टेशन मास्टर/स्विचमैन द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए।
- (ii) असामान्य रूप से विलम्बित गाड़ियों के मामले में जैसा कि उपर पैरा (i) में वर्णित है, शंटिंग जमादार/लाइन जमादार/प्लान्टसमैन/कैबिनमैन/गेटमैन को उन्हीं परिस्थितियों में ड्यूटी से जाने की अनुमति दे दी जायेगी बशर्ते कि वे समुचित रूप से कार्य-भार मुक्त किये गये हों। ड्यूटी से जाने के पूर्व कार्य-भार मुक्त व्यक्ति अपने कार्य-भार ग्राही व्यक्ति की स्थिति विस्तृत रूप से स्पष्ट कर देगा।

14.08. प्रस्थान प्राधिकार:— लोको पायलट अपनी गाड़ी को ब्लॉक स्टेशन से तब तक नहीं ले जाएगा, जब तक कि उसे प्रस्थान प्राधिकार निम्नलिखित रूप में नहीं दे दिया जाता है, अर्थात्:—

- (क) दोहरी (डबल) लाइन पर, अन्तिम रोक (स्टाप) सिगनल को 'ऑफ' स्थिति में कर के, तथा
- (ख) इकहरी (सिंगिल) लाइन पर, या तो —
- उस ब्लॉक सेक्शन के लिए, विद्युत ब्लॉक यंत्र से निकाले गए टोकन देकर, या
 - स्टेशन मास्टर द्वारा यथावत हस्ताक्षरित लाइन क्लीयर टिकट देकर, या
 - विशेष अनुदेशों द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित कोई दस्तावेज देकर, या
 - जिस सेक्शन पर टोकन रहित प्रकार के विद्युत ब्लॉक यंत्र या सर्किट या धुरी काउंटर की व्यवस्था है वहाँ, उपखण्ड (i) से (iii) तक में उल्लिखित किसी मूर्त (टेन्जिबिल) प्राधिकार के बदले अन्तिम रोक (स्टाप) को 'ऑफ' करके।

14.09. लोको पायलट द्वारा प्रस्थान प्राधिकार की जांच:—

- लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि उसे प्रस्थान प्राधिकार दिया गया है वह संचालन पद्धति के अधीन उचित प्राधिकार है और उसी ब्लॉक सेक्शन के लिए है जिसमें उसे प्रवेश करना है और यदि वह प्राधिकार लिखित रूप में है तो वह पूर्ण है और उस पर स्याही से यथावत पूरे हस्ताक्षर दिए गए हैं।
 - यदि उपनियम (1) में बताई गई शर्तें पूरी नहीं हुई हैं तो लोको पायलट अपनी गाड़ी उस स्टेशन के आगे या उस स्टेशन से तब तक नहीं ले जाएगा, जब तक कि ऐसी कोई भूल या कमी दूर नहीं कर दी जाती।
- स0नि014.09 (i) क्षतिग्रस्त टोकन को 'प्रस्थान प्राधिकार' के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षतिग्रस्त टोकन वह टोकन है जिसे ब्लाक यंत्र में न तो डाला जा सकता है और न ही उससे निकाला जा सकता है या ऐसा टोकन है जिसकी संख्या या स्टेशनों के कूट इतनी मिट गयी हो कि उन्हें पहचाना न जा सके।
- यदि लिखित प्रस्थान प्राधिकार में किसी प्रकार का संशोधन हो या इसमें कोई अंश मिटाया गया हो तो लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि प्रस्थान प्राधिकार लिखते समय कोई त्रुटि हो जाये तो नया प्रस्थान प्राधिकार बनाना चाहिए।

the completion.

- (5) All alterations in Train Signal Register must be initialed in ink.

NOTE: (i) In exceptional circumstances, in which abnormal detention to incoming/out going trains is apprehended due to accidents, engine failures, train working in sidings and mid-sections etc., when it is not practicable for the same Station Master/Asstt. Station Master/Cabin A.S.M./Switchman to remain on duty for the completion of transactions pertaining to a train, relief of S.M./A.S.M./C.A.S.M./Switchman can take place even without the employee on duty completing on duty completing the work relating to the train for which he had started the operation. But the employee who is relieved must complete the entry in the train register and sign the same in terms of S.R. 14.07 (ii)(a). This entry must also be countersigned by the S.M./A.S.M./C.A.S.M./Switchman, who provides relief.

- (ii) In case of abnormally delayed trains as detailed in para (i), Shunting Jamadar/Line Jamadar/Pointsman/Cabinman/Gateman will be permitted to go off duty under the same circumstances provided they are properly relieved. Before going "off" duty the person relieved will explain the position in detail to his reliever.

14.08. Authority to proceed:- The Loco Pilot shall not take his train from a block station unless he has been given an authority to proceed :-

- (a) on the double line, by the taking "off" of the last Stop signal, and
- (b) on the single line, either-
 - (i) by a token for the block section, taken from an electrical block instrument, or
 - (ii) by a Line Clear Ticket duly signed by the Station Master, or
 - (iii) by any document prescribed in this behalf by special instructions, or
 - (iv) by the taking 'off' of the last Stop signal in lieu of tangible authority as mentioned in sub-clauses (i) to (iii) on sections provided with electrical block instruments of token less type or track circuits or axle counters.

14.09. Loco Pilot to examine authority to proceed:-

- (1) The Loco Pilot shall ensure that the authority to proceed given to him is the proper authority under the system of working and refers to the block section he is about to enter, and if the said authority is in writing that it is complete and duly signed in full and in ink.
- (2) If the conditions mentioned in sub-rule (1) are not complied with, the Loco Pilot shall not take the train past or start from the station until the mistake or the omission is rectified.

S.R. 14.09(i) A damaged token must not be accepted as an authority to proceed. Damaged token is a token which cannot be inserted into or extracted from the instrument or which has its number or the station code initials defaced beyond recognition.

- (ii) The Loco Pilot must not accept an Authority to proceed when it is in writing, if any erasures or corrections have been made therein. When any mistake has been made in writing out the authority to proceed a fresh one must be prepared.

14.10. ब्लॉक सेक्शन बन्द करने की शर्तें:-

- (1) यदि ब्लॉक सेक्शन गाड़ी के आने में या अवरोध का कारण दूर हो जाने से साफ हो गया है तो अगले ब्लॉक स्टेशन द्वारा, घंटी कोड में निर्धारित संकेत देकर, ब्लॉक सेक्शन बन्द कर दिया जाएगा।
- (2) इस प्रकार का संकेत देने से पहले, स्टेशन मास्टर इस बावत अपना समाधान कर लेगा कि:-
(क) पूरी गाड़ी आ गई है या सेक्शन पर अवरोध का कारण दूर कर दिया गया है; तथा
(ख) जिन शर्तों के अधीन लाइन क्लीयर दिया जाता है, उनका पालन हो गया है।
- (3) “ए” क्लास इकहरी (सिंगिल) लाइन वाले क्रॉसिंग स्टेशनों पर उपनियम (2) के खण्ड(ख) के उपबन्धों में ढील दी जा सकती है। ऐसे मामलों में स्टेशन मास्टर इस बावत अपना समाधान कर लेगा कि गाड़ी अपने प्रस्थान (स्टार्टर) सिगनल, पर उस लाइन से अलग और साफ खड़ी है जिस पर दूसरी गाड़ी को आना है।
- (4) जब सेक्शन में, ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर अथवा ब्लॉक स्टेशनों के बीच लगातार ट्रैक सर्किटिंग तथा रिसीविंग स्टेशन सेक्शन में नॉन रनिंग लाइनों को छोड़कर पूर्णतः ट्रैक सर्किटिंग लगायी गयी है और कार्यरत है तथा ब्लॉक सेक्शन के विलयरेन्स का स्पष्ट संकेत है वैसे ही दिये गये संकेत के अनुसार गाड़ी के पूर्ण आगमन का भी संकेत है, तो स्टेशन मास्टर द्वारा इसे गाड़ी के संपूर्ण आगमन के संकेत के रूप में लिया जाएगा।

14.11. प्रस्थान प्राधिकार के बावत स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी:-

- (1) लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित कार्यविधि, जहाँ तक कि वह सम्बन्धित मामले को लागू हो जाती है, पालन नहीं कर लिया गया है।
- (2) लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार स्टेशन मास्टर या इस कार्य के लिए विशेष अनुदेशों के अधीन नियुक्त रेल सेवक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं देगा।
- (3) स्टेशन मास्टर यह देखेगा कि लोको पायलट को दिया गया प्रस्थान प्राधिकार पूर्णतः सही है और यदि वह लिखित रूप में है तो वह पूर्ण है, और उस पर स्याही से पूरे हस्ताक्षर किए गए हैं।
- (4) यदि कोई गाड़ी स्टेशन पर रुकी है और दूसरी गाड़ी को क्रॉस करने की प्रतीक्षा कर रही है तो लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि क्रॉस करने वाली गाड़ी पूरी नहीं आ जाती और रुकी हुई गाड़ी के लिए परिचालित लाइन साफ नहीं हो जाती।
- (5) यदि गाड़ी में दो इंजन एक साथ जुड़े हों या एक इंजन गाड़ी के आगे और दूसरा गाड़ी के पीछे लगा है तो प्रस्थान प्राधिकार अगले इंजन के लोको पायलट को दिया जाएगा।

14.12. विद्युत टोकन यंत्रों और टोकन की बावत विशेष जिम्मेदारी:-

- (1) स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि –
(क) विद्युत ब्लॉक यंत्रों का प्रचालन उसके अतिरिक्त और कोई न करे,
(ख) घंटी संकेतों और इसके अतिरिक्त विद्युत संचार यंत्रों द्वारा भेजे जाने वाले संदेशों के सम्बन्ध में, जिनके अन्तर्गत प्राइवेट नम्बरों का प्रयोग भी है, विशेष अनुदेशों के अधीन निर्धारित कार्य विधि का सही तौर पर पालन किया जाए।
(ग) रुकने वाली गाड़ियों के लोको पायलट द्वारा आने वाला टोकन वापस कर देने पर ही जाने वाला टोकन दिया जाए।
(घ) यदि वह किसी आने वाली गाड़ी का टोकन प्राप्त करे तो वह उसे तुरन्त विद्युत ब्लॉक यंत्र में डाल दे, तथा

14.10. Conditions for closing the block section:-

- (1) When block section has been cleared by the arrival of the train or by the removal of the cause of blocking, the block section shall be closed by the block station in advance by giving the prescribed bell code signal.
- (2) Before such signal is given, the Station Master shall satisfy himself -
 - (a) that the train has arrived complete, or the cause of blocking the section has been removed, and
 - (b) that the conditions under which Line Clear can be given, are complied with.
- (3) The provision of clause (b) of sub-rule (2) may be relaxed at class 'A' single line crossing stations. In such cases, the Station Master shall satisfy himself that the train is standing at its Starter clear of the line on which the second train is to run.
- (4) Where in a section, a block providing axle counter or continuous track circuiting between block stations and complete track circuiting of station section, excluding non-running lines of the receiving station is installed and is functioning and there is a clear indication of clearance of block section as well as complete arrival of the train as per indication given, it would be taken as assurance for complete arrival of the train to the Station Master.

14.11. Responsibility of Station Master as to authority to proceed:-

- (1) An authority to proceed shall not be given to the Loco Pilot until the procedure prescribed for the purpose, so far as it is applicable in the particular case, has been followed.
- (2) An authority to proceed shall not be given to the Loco Pilot except by the Station Master or by some railway servant appointed in this behalf by special instructions.
- (3) The Station Master shall see that the authority to proceed given to a Loco Pilot is accurate and that, when it is in writing, it is complete and is signed in full and in ink.
- (4) If the train stops at the station and is waiting to cross another train, the authority to proceed shall not be given to the Loco Pilot until the whole of the latter train has arrived and is clear of the running line for the former train.
- (5) If two engines are coupled together or if one engine is in front and another in rear of the train, the authority to proceed shall be given to the Loco Pilot of the leading engine.

14.12. Special responsibility as to electrical token instruments and to the token:-

- (1) The Station Master shall be responsible to ensure that -
 - (a) no one but himself operates the electrical block instruments.
 - (b) the procedure regarding bell signals and, in addition any communication made by electrical communication instruments including the use of a private number, as laid down under special instructions, is correctly carried out.
 - (c) in the case of stopping trains, the incoming token is surrendered by the Loco Pilot before an outgoing token is delivered to him.
 - (d) when he receives the token of an incoming train, it is put in the electrical block instrument immediately, and

- (ड) विशेष अनुदेशों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति विद्युत ब्लॉक यंत्र को नहीं खोलेगा।
- (2) (क) टोकन विद्युत ब्लॉक यंत्र में से आवश्यकता से पहले नहीं निकाला जाएगा और निकाले जाने पर, इसका नम्बर गाड़ी सिगनल रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाएगा और वह तब तक स्टेशन मास्टर की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखा जाएगा जब तक कि वह लोको पायलट को दे नहीं दिया जाता अथवा वापस विद्युत ब्लॉक यंत्र में डाल नहीं दिया जाता।
- (ख) अगले ब्लॉक स्टेशन नहीं पहुँचने पर लोको पायलट टोकन को अनुदेशों के अनुसार दे देगा और फिर टोकन उस स्टेशन के विद्युत ब्लॉक यंत्र में डाल दिया जाएगा।
- (ग) यदि गाड़ी को उसी ब्लॉक स्टेशन पर वापस आना है जहाँ से उसने प्रस्थान किया था तो ऐसी वापसी पर, जिस विद्युत ब्लॉक यंत्र से टोकन निकाला गया था उसी में फिर वापस डाल दिया जाएगा।

14.13. विद्युत ब्लॉक यंत्रों या ट्रैक सर्किटों अथवा धुरी काउन्टरों में खराबी आ जाना:—

- (1) यदि विद्युत ब्लॉक यंत्रों, ट्रैक सर्किटों या धुरी काउन्टरों या उनके लिए विद्युत कनेक्शनों में खराबी आ जाती है तो लाइन क्लीयर, विद्युत संचार यंत्रों द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
- (2) जब लाइन क्लीयर इस प्रकार प्राप्त किया जाता है तो उस बावत लेखी गाड़ी सिगनल रजिस्टर में दर्ज की जाएगी और लिखित प्रस्थान प्राधिकार जारी करने के बाद गाड़ी को जाने दिया जा सकता है। उक्त प्राधिकार पर भी इस आशय का नोट लिख दिया जाएगा।

स0नि0 14.13(1): इकहरी लाइन पर ब्लॉक यंत्र खराब होने पर निम्नलिखित क्रम में संचार के वैकल्पिक साधनों द्वारा अगले स्टेशन से लाइन क्लीयर लिया जायेगा—

- ब्लॉक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
- ब्लॉक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन।
- एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच जुड़े स्थिर टेलीफोन, जहाँ उपलब्ध हो।
- स्थिर टेलीफोन जैसे— रेलवे आटोफोन और बी.एस.एन.एल. फोन।
- कन्ट्रोल टेलीफोन तथा
- वी.एच.एफ. सेट, विशेष अनुदेश के अधीन, परन्तु उन खण्डों पर जहाँ यात्री गाड़ियों का संचलन होता है, संचार के एक मात्र साधन के रूप में इनका प्रयोग वर्जित है।

नोट— (क) जब लाइन क्लीयर ऊपर वर्णित पैरा (iii) से (vi) तक के माध्यम से लिया गया हो, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशनों द्वारा लाइन क्लीयर लिया/दिया जा रहा है, उस ब्लॉक खण्ड से पहले गुजरी तीन गाड़ियों की संख्या तथा प्राइवेट नम्बर दोनों स्टेशनों द्वारा दोहराई तथा जाँची जानी चाहिये।

(ख) इसके अतिरिक्त वी.एच.एफ. सेट पर लाइन क्लीयर लेते/देते समय निम्नलिखित निर्देशों का भी अनुपालन किया जाना चाहिये—

- लाइन क्लीयर लेते/देते समय पूर्ववर्ती तीन गाड़ियों का विवरण लिया जाना चाहिये जिसमें लाइन क्लीयर का समय, प्राइवेट नम्बर तथा ब्लॉक खण्ड बाधित होने एवं साफ होने का समय सम्मिलित होना चाहिये।
- लाइन क्लीयर तभी लिये/दिया जाना चाहिये जब वी.एच.एफ. सेट पर आवाज एकदम स्पष्ट हो। जब आवाज में शोर हो, बाधित हो या धीमी/टूटी-फूटी हो तो वी.एच.एफ. सेट का उपयोग इस हेतु नहीं किया जाना चाहिये।
- वी.एच.एफ. सेट पर लाइन क्लीयर लेते/देते समय किसी प्रकार के सन्देह की स्थिति में इसका प्रयोग तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेमा/सस्टेमा नियमानुसार गाड़ियों के संरक्षित संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे।
- वी.एच.एफ. सेट पर मात्र तीन गाड़ियों का लाइन क्लीयर लिया जा सकता है। उससे आगे लाइन क्लीयर खण्ड के यातायात निरीक्षक/पर्यवेक्षकीय स्टेमा अथवा निकटवर्ती पर्यवेक्षकीय स्टेमा की उपस्थिति में ही लिया/दिया जाना चाहिये।

- (e) no one except the person authorized by special instructions opens the electrical block instruments.
- (2) (a) A token shall not be taken out of an electrical block instrument earlier than necessary and when taken out, its number shall be recorded in the Train Signal Register, and it shall be kept in the personal custody of the Station Master till issued to a Loco Pilot or returned to the instrument.
- (b) On arrival of the train at the block station in advance, the Loco Pilot shall give up the token in accordance with special instructions, and this token shall then be placed in the electrical block instrument at that station.
- (c) If the train has to return to the block station from which it started, the token shall, on such return, be replaced in the electrical block instrument from which it was extracted.

14.13. Failure of electrical block instruments or track circuits or axle counters:-

- (1) If the electrical block instruments, track circuits or axle counters or their electric connections fail, Line Clear shall be obtained through the electrical communication instruments.
- (2) When Line Clear has been so obtained, an entry to that effect shall be made in the Train Signal Register, and the train may be allowed to proceed on the issue of a written authority to proceed, which shall also bear a remark to that effect.

S.R. 14.13(1): In the event of Block Instrument failing on single line, the order of preference for alternative means of communication for obtaining 'Line Clear' from the station in advance shall be as under:

- i. Block Instruments, Track Circuits or Axle Counters.
- ii. Telephones attached to Block Instruments.
- iii. Station to station fixed telephones wherever available.
- iv. Fixed telephone such as Railway auto phones & BSNL phones.
- v. Control Telephone, and
- vi. VHF sets, under special instructions, but not as the sole means of communication on sections where passenger trains run.

Note:- (a) When line clear is obtained through the means referred to in Para (iii) to (vi) above, train numbers with private number of three previous trains which have passed over the block section shall be repeated and checked by both stations so that the identity of correct station asking/giving line clear is established.

- (b) Further while obtaining/granting line clear on VHF Sets the following instructions should also be observed:-
 - (i) Details of preceding three trains should be taken at the time of obtaining/granting line clear including time of line clear received private numbers with time of occupying and clearing block section.
 - (ii) Line Clear should be obtained/given only when voice on VHF set is very clear. VHF set should not be used for this purpose whenever any induction in noise, disturbance, or faint/broken voice is noticed on VHF set.
 - (iii) In case of any doubt while obtaining/granting line clear on VHF set, it's used must be stopped forthwith. In such situation SM/ASM on duty will be responsible for the safe working of trains as per rules.
 - (iv) Line clear for three trains only can be obtained on VHF sets. For further line clear should be obtained/given only in presence of sectional TI/Supervisory SM or neighboring supervisory SM.

- (2) दोहरी लाइन खण्ड पर ब्लाक संयन्त्र विफल होने की स्थिति में अगले स्टेशन से लाइन क्लीयर प्राप्त करने के लिये संचार के वैकल्पिक साधनों की वरीयता स०नि० 14.13(1) के अनुसार होगी।
- (3) (i) दोहरी लाइन खण्डों पर जब अन्तिम रोक सिगनल को "आफ" न किया जा सके तब प्रस्थान प्राधिकार निम्नलिखित होंगे:-
- (क) ब्लाक पैनल/ब्लाक यन्त्र कार्य कर रहा हो और अन्तिम रोक सिगनल खराब हो - जब ब्लाक पैनल/ब्लाक यन्त्र सामान्य रूप से कार्य कर रहा हो किन्तु अन्तिम रोक सिगनल खराब हो, तब लाइन क्लीयर लेने/देने का कार्य ब्लाक पैनल/ब्लाक यन्त्र पर ही किया जाता रहेगा और फार्म टी/369 (3बी) पर लिखित प्राधिकार तैयार किया जायेगा जिस पर स्टेशन मास्टर द्वारा यह टिप्पणी अंकित की जायेगी कि अगले ब्लॉक स्टेशन से ब्लाक पैनल/ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लीयर ले लिया गया है और इसके साथ ही अगले ब्लॉक स्टेशन से प्राप्त प्राइवेट नम्बर भी उस पर दर्ज किया जायेगा। ये सभी मिलकर जाने वाली गाड़ी के लिए 'प्रस्थान प्राधिकार' का स्वरूप लेंगी।
- (ख) ब्लाक पैनल/ब्लाक यन्त्र खराब होने की स्थिति में- यदि ब्लाक पैनल/ब्लाक यन्त्र खराब हो और इस पर लाइन क्लीयर न लिया जा सके तब रिसीव करने वाले स्टेशन मास्टर और डिस्पैच करने वाले स्टेशन मास्टर द्वारा प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान, जिसकी प्रविष्टि ट्रेन सिगनल रजिस्टर में की जायेगी, के अन्तर्गत ब्लॉक खण्ड का साफ होना सुनिश्चित करने के पश्चात सहायक नियम 14.13(1) में वर्णित विद्युत संचार उपकरणों में से किसी एक के माध्यम से लाइन क्लीयर प्राप्त किया जाना चाहिए। अन्तिम रोक सिगनल को 'आन' की स्थिति में पार करने के लिए लोको पायलट को फार्म टी/369(3बी) पर प्राधिकार दिया जायेगा जो जाने वाली गाड़ी के लिये 'प्रस्थान प्राधिकार' होगा।
- (ii) इकहरी लाइन खण्डों पर 'प्रस्थान प्राधिकार' लाइन क्लीयर टिकट (टी सी/टी डी 1425) के रूप में होनी चाहिए जिसे लोको पायलट को अन्तिम रोक सिगनल को 'आन' स्थिति में पार करने हेतु टी सी/टी डी 1425 में निहित प्रावधान के अनुसार को प्राधिकृत किया जाना चाहिये।
- 14.14. मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट को बन्द करना:-** यदि मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट के दोनों ओर के स्टेशनों पर लगे विद्युत ब्लॉक यंत्र या अन्तिम रोक (स्टाप) सिगनल के बाद लगाए गए ट्रैक सर्किट या ब्लॉक सेक्शन के दोनों ओर लगे धुरी काउन्टर खराब हो जाते हैं तो मध्यवर्ती ब्लॉक रोक (स्टाप) सिगनल को भी खराब माना जाएगा और उस मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट को बन्द समझा जाएगा और उस मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट के दोनों ओर स्टेशनों के बीच का सेक्शन एक ब्लॉक सेक्शन माना जाएगा।
- ग - बिना विद्युत ब्लॉक यंत्र वाले ब्लॉक स्टेशन**
- 14.15. संकेत भेजना:-** जिन स्टेशनों पर विद्युत ब्लॉक यंत्रों की व्यवस्था नहीं है वहाँ गाड़ियों के संचालन के लिए, विशेष अनुदेशों के अधीन निर्धारित संकेत परिस्थिति के अनुसार विद्युत संचार यंत्रों पर भेजे जायेंगे।
- स०नि० 14.15(1): इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति में विद्युत संचार यंत्रों द्वारा गाड़ियों के संदेश देने और उनके संचालन के लिए विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट 'घ' में दिये गये हैं।
- 14.16. गाड़ी सिगनल रजिस्टर:-** जिन ब्लॉक स्टेशनों पर ब्लॉक यंत्रों की व्यवस्था नहीं है वहाँ भी नियम 14.07 में उल्लिखित गाड़ी सिगनल रजिस्टर रखा जायेगा।
- 14.17. संदेशों और लिखित प्रस्थान प्राधिकार के प्रारूप (फार्म):-**
- (1) गाड़ियों के संचालन के सम्बन्ध में भेजे जाने वाले सभी संदेश और लिखित प्रस्थान प्राधिकार रेल प्रशासन द्वारा उसके लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए प्रारूपों (फार्म) में लिखे जाएंगे।
- (2) ऐसे प्रारूप (फार्म) जिल्द बंद रजिस्ट्रों के रूप में होंगे और वह प्रत्येक ब्लॉक स्टेशन पर स्टेशन मास्टर या इस प्रयोजन के लिए विशेष अनुदेशों द्वारा नियुक्त किसी रेल सेवक के पास रखे जाएंगे।
- 14.18. संदेशों की विशिष्टता:-**
- (1) किसी गाड़ी के संचालन के सम्बन्ध में भेजे जाने वाले प्रत्येक संदेश में सम्बन्धित गाड़ी का स्पष्ट वर्णन रहेगा।
- (2) प्रत्येक गाड़ी के लिए पूछताछ तथा उत्तर अलग-अलग भेजा जाएगा।

- (2) In the event of Block Instrument failing on Double line, the order of preference for alternative means of communication for obtaining 'Line Clear' from the station in advance shall be as per S.R. 14.13(1).
- (3) (i) On Double line sections when the Last Stop Signal cannot be taken 'OFF', the following shall be the authority to proceed –
 - (a) When the Block Panel/Block Instrument is in working condition & Last Stop Signal has failed: If the Block Panel/Block Instrument is in normal working condition but there is only failure of Last Stop Signal, Line Clear working shall continue to be done on the Block Panel/Block Instrument itself and a written authority on form T/369(3b) with an endorsement thereon, by the Station Master that the Line Clear has been obtained on block instrument with the private number issued by the block station in advance, shall constitute the Authority to Proceed for the train to depart.
 - (b) In case of failure of Block Panel/Block Instrument: If there is a failure of Block Panel/Block Instrument and Line Clear cannot be obtained on it, the Line Clear should be obtained through one of the electrical communication equipment as laid down S.R. 14.13(1), after ensuring the clearance of block section under exchange of private numbers, which shall be recorded in TSR, between the receiving end Station Master and dispatching end Station Master. An Authority on form T/369(3b) shall be issued to the Loco Pilot to pass the last stop signal at "ON" and it shall constitute the 'Authority to Proceed' for the train to depart.
- (ii) On Single Line Sections, the 'Authority to Proceed' must be in the form of a 'Line Clear Ticket'(TC/TD 1425) authorising the Loco Pilot to pass the Last Stop Signal in 'ON' position in TC/TD 1425 itself.

14.14. Closing of Intermediate Block Post:- If the electrical block instruments provided at the stations on either side of an Intermediate Block Post or the track circuiting provided beyond the last Stop signal, or the axle counters provided at either end of block section fail, the Intermediate Block Stop signal shall be treated as defective and the Intermediate Block Post shall be deemed to be closed and the section between the stations on either side of the Intermediate Block Post shall be treated as one block section.

C. Block Stations at which Electrical Block Instruments are not provided.

14.15. Transmission of signals:- For the working of trains at such stations where electrical block instruments are not provided, signals as prescribed under special instructions shall be transmitted, as occasion may require, on the electrical communication instruments.

S.R. 14.15(i): Detailed instructions for the signalling & working of trains on single line on the Absolute Block System by means of the electrical communication instruments are laid down in Appendix 'D'.

14.16. Train Signal Register:- The Train Signal Register referred to in Rule 14.07 shall also be maintained at block stations where block instruments are not provided.

14.17. Forms for messages and written authority to proceed:-

- (1) All messages dispatched in connection with the working of trains, and all written authorities to proceed, shall be written on forms specifically provided for the purpose by the Railway Administration.
- (2) Such forms shall be bound up in books and kept at each block station by the Station Master, or by some railway servant appointed in this behalf by special instructions.

14.18. Distinction of messages:-

- (1) Every messages dispatched in connection with the working of a train shall distinctly describe the train to which it relates.
- (2) For every train a separate inquiry and reply shall be sent.

14.19. संदेशों और लिखित प्रस्थान प्राधिकारों का लिखा जाना और उन पर हस्ताक्षर:-

- (1) गाड़ियों के संचालन के सम्बन्ध में भेजे जाने वाले सभी संदेश और सभी लिखित प्रस्थान प्राधिकार स्याही से लिखे जाएंगे और उन्हें भेजने या जारी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- (2) कोई भी संदेश या लिखित प्रस्थान प्राधिकार पूर्णतः या अंशतः तब तक नहीं लिखा जायेगा या हस्ताक्षरित किया जायेगा जब तक कि उसकी आवश्यकता नहीं है।

14.20. संदेशों की सम्पूर्णता:- दुर्घटना को रोकने की दृष्टि से या किसी अन्य आपात स्थिति के सिवाय, किसी संदेश का कोई भाग तब तक नहीं भेजा जाएगा और कार्यान्वित किया जायेगा जब तक कि सम्पूर्ण संदेश लिख नहीं दिया गया है।**14.21. संदेशों और लिखित प्रस्थान प्राधिकारों का परिरक्षण:-** संदेशों और लिखित प्रस्थान प्राधिकारों को उनके जारी होने के उतने समय बाद नष्ट कर दिया जाएगा जितना कि विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित किया जाए परन्तु कोई भी संदेश या लिखित प्रस्थान प्राधिकार उसके जारी होने से एक मास बीतने से पूर्व नष्ट नहीं किया जायेगा।

स.नि. 14.21(i) (क) गाड़ी सिगनल रजिस्टर, लाइन क्लीयर पूछताछ और रिपलाई की पुस्तकें, सतर्कता आदेशों और बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार की प्रतिपन्नियां को स्टेशन मास्टर द्वारा एक वर्ष तक परिरक्षित की जानी चाहिए।

(ख) पेपर लाइन टिकटों, बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार टिकटों और सतर्कता आदेशों को यांत्रिक विभाग द्वारा एक साल तक परिरक्षित की जानी चाहिए।

14.22. लाइन क्लीयर रद्द करना:- यदि इकहरी (सिंगल) लाइन पर कोई लाइन क्लीयर रद्द कर दिया जाता है तो विपरीत दिशा में किसी गाड़ी को जाने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि इस प्रकार रद्द करने की अभिस्वीकृति का संदेश प्राप्त नहीं हो जाता और उसमें यह कथन नहीं कर दिया जाता कि वह गाड़ी जिसके लिए लाइन क्लीयर दिया गया था, रोक ली गई है और रुकी रहेगी।**14.23. प्रस्थान प्राधिकार का लोको पायलट के पास होना:-** लोको पायलट स्टेशन से अपनी गाड़ी तब तक नहीं ले जाएगा जब तक कि उसके पास प्रस्थान प्राधिकार के रूप में स्टेशन मास्टर द्वारा यथाविधि हस्ताक्षरित लाइन क्लीयर टिकट नहीं है।

स.नि. 14.23 (i): यदि ब्लॉक सेक्शन के बीच किसी साईडिंग के लिए लगे हुए टोकन एक्सचेंजर बाक्स से टोकन न निकाला जा सके तो ड्राईवर को सेक्शन के लिये निर्धारित सामान्य गति से अपनी गाड़ी को सामान्य रूप में ब्लॉक स्टेशन के लिये बढ़ाना चाहिए और स्टेशन मास्टर से इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए।

14.24. लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार कब दिया जाय:- लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित कार्य विधि का, जहाँ तक कि वह सम्बन्धित मामले को लागू होती है, पालन नहीं कर दिया गया है।**घ- लाइन क्लीयर टिकट****14.25. लाइन क्लीयर टिकट:-**

- (1) यदि विद्युत ब्लॉक यंत्रों की खराबी के कारण या उसकी व्यवस्था न होने के कारण, प्रस्थान प्राधिकार लाइन क्लीयर टिकट के रूप में है तो वह, निर्धारित प्रारूप (फार्म) पर होगा।
- (2) ऐसे प्रत्येक टिकट पर क्रम संख्या अंकित होगी जो गाड़ी सिगनल रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। डाउन दिशा के लिए दिए जाने वाले नम्बरों को अप दिशा के नम्बरों से स्पष्ट रूप से अलग प्रदर्शित किया जायेगा।
- (3) उपनियम (1) और (2) में उल्लिखित टिकट सफेद कागज पर नीले अक्षरों (ब्लू फान्ट) में मुद्रित होंगे। पेपर लाइन क्लीयर टिकट पर अप एवं डाउन दिशा में अन्तर स्पष्ट करने के लिए वाटर मार्क तीर चिन्ह अप एवं डाउन दिशा चिन्हित करेंगे।

ङ - ब्लॉक कार्यचालन उपस्कर का प्रयोग तथा प्रचालन**14.26. ब्लॉक कार्यचालन उपस्कर का प्रयोग तथा प्रचालन:-** विद्युत ब्लॉक यंत्रों तथा प्रचालन विशेष अनुदेशों द्वारा शासित होगा जो रेलवे बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से जारी किये जायेंगे।

14.19. Writing and signing of message and writing authorities to proceed: -

- (1) All message dispatched in connection with the working of trains, and all written authorities to proceed, shall be written up in ink and signed by the person authorised to dispatch of issue the same.
- (2) No message or written authority to proceed shall be written out, either in full or in part, or signed, until necessary.

14.20. Completion of message:- No part of any message shall be dispatched or acted upon until the whole message has been written out except with a view to the presentation of an accident, or in some other case of emergency.

14.21. Preservation of message and written authorities to proceed:- Message and written authorities to proceed shall be destroyed at such time after issue as may be prescribed by special instructions. Provided that no message or written authority to proceed shall be destroyed before one month after issue.

SR 14.21 (i) (a) The Train Signal Registers, Line Clear Enquiry and Reply Books, counterfoils of Caution Orders and Authority to Proceed without Line Clear must be preserved for one year by the Station Master.

(b) Paper Line Clear Ticket, Authority to Proceed without Line Clear Tickets and Caution Orders must be preserved by Mechanical Department for one clear year.

14.22. Cancellation of Line Clear:- On a single line when a Line Clear has been cancelled, no train shall be allowed to leave in the opposite direction until a message has been received acknowledging such cancellation and stating that the train for which the Line Clear has been given is and shall be detained.

14.23. Loco Pilot to have authority to proceed:- The Loco Pilot shall not take his train from a station unless he has in his possession, as his authority to proceed, a Line Clear Ticket duly signed by the Station Master.

SR 14.23(i) If a Loco Pilot finds, the Token cannot be extracted from Token Exchanger Box in a siding in mid-section, he must proceed with his train as usual at the normal running speed, prescribed over the section, to the block station and report the matter to the Station Master.

14.24. Authority to proceed: when to be given to Loco Pilot:- An authority to proceed shall not be given to the Loco Pilot until the procedure prescribed for the purpose, so far as it is applicable in the particular case, has been followed.

D. Line Clear Tickets**14.25. Line Clear Tickets:-**

- (1) When owing to failure or non-provision of electrical block instruments the authority to proceed is a Line Clear Ticket, it shall be in prescribed format.
- (2) Each such ticket shall bear a serial number which shall be recorded in the Train Signal Register, the number for the Down direction being clearly distinguished from those for the Up direction.
- (3) The ticket referred to in sub-rules (1) and (2) shall be printed on white paper with blue font. To distinguish Paper Line Clear Ticket for Up and Down direction, watermark arrow pointing Up and Down will be printed on the ticket.

E. Use and Operation of Block Working Equipment

14.26. Use and operation of block working equipment:- The use and operation of electrical block instruments shall be governed by special instructions to be issued with the prior approval of the Railway Board.

